

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक:प.35(18)चिस्वा/ग्रुप-3/2023/43

दिनांक:- 31-03-2023

**आदेश**

राज्य में सरोगेसी से बच्चा चाहने के इच्छुक दम्पति/महिला का Certification of Medical Indication जारी किये जाने हेतु The Surrogacy (Regulation) Act 2021 के सेक्टर III के विन्दु संख्या (4) (III) (a) (I) के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित जिला। | अध्यक्ष |
| 2. एक वरिष्ठतम स्त्रीरोग विशेषज्ञ                       | सदस्य   |
| 3. एक वरिष्ठतम शिशुरोग विशेषज्ञ                         | सदस्य   |

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.35(18)चिस्वा/ग्रुप-3/2023/43

दिनांक:- 31-03-2023

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नईदिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, Department of Health Research स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नईदिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम, को वास्ते ईमेल हेतु।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)  
संयुक्त शासन सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Narentra Kumar  
Bansal  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.31 16:16:54 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3407774

